संख्या– /XVI(1)/14/7(5)/14

प्रेषक,

आर0सी0शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1

देहरादूनः दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की नयी योजनाओं में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–313/1-1(102)/2014-15, दिनांक–21 जुलाई, 2014 एवं वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक–18 मार्च, 2013, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की विभिन्न योजनाओं **21–उद्यानों की जीर्णोद्धार की योजना, 22–बोरवैल स्थापना की योजना, 23–ग्रीन हाउस की पालीथीन बदलाव की योजना, 24–पावर मशीन की योजना, 25–फल पौध रोपण की योजना**) के कियान्वयन हेतु अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित बजट की धनराशि रू0 40000 हजार (रू0 चार करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो हेतु स्वीकृत परिव्यय सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक–18 मार्च, 2013 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि व्यय करते समय प्रक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो वहाँ व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय केवल उन्ही मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(8) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण सम्बन्धित प्रपत्र में प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।

(9) योजनावार व्यय की सूचना सम्बन्धित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके परिव्यय की सीमान्तर्गत वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(10) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत स्वीकृत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

क्रमशः–2

(13) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(14) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 (राज्य सैक्टर) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

(16) उक्त योजनाओं का लाभ लाभार्थी को प्रदान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कृषक ने किसी भी एक इनपुट हेतु अनुदान प्राप्त किया है उसे कार्य निष्पादन के विश्लेषण के उपरांत दूसरे इनपुट हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाय।

(17) केन्द्रपोषित योजनाओं का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ताकि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत कम योजनायें प्रस्तावित की जा सकें।

(18) उक्त योजनाओं का कियान्वयन शासन से उक्त योजनाओं के मानक निर्धारित एवं अनुमोदित होने के उपरांत मानक एवं दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(19) यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०पत्र संख्या–90(P)/वित्त–4/2014 दिनांक–18 नवम्बर 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर०सी०शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या–1442/XVI(1)/14/7(5)/14, तददिनांक:

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– राज्य योजना आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंगल सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।